शीर्ष प्राथमिकता / समयवद्ध

संख्याः 341 /74/रा.डी.आर.डी.ए./2017

ई–मेल / पंजीकृत

प्रेषकः

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग (रा.डी.आर.डी.ए.प्रको.) देहरादून दिनांकः 25 अगस्त, 2017

विषयः– 1–15 अक्टूबर, 2017 तक राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता एवं अन्य विभागों और त्रि–स्तरीय पंचायतों के सहयोग से "ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा" का आयोजन किये जाने विषयक।

महोदय / महोदया,

कृपया सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध–शासीकय पत्रांक RD/GSESP/States/2017 दिनांक 18.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न), जिसके द्वारा 1–15 अक्टूबर, 2017 तक "ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा" ग्राम विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता एवं अन्य विभागों और त्रि–स्तरीय पंचायतों के संयुक्त पहल द्वारा राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों में उत्सव के रूप में मनाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त पखवाड़े का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों में उत्सव के रूप में किया जायेगा, जिसमें दिनांक 1–15 अक्टूबर, 2017 तक निर्धारित रोस्टर के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें।

उक्त पखवाड़ा कार्यक्रम को दो भागो में वर्गीकृत किया गया है –

(1) सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम।

(2) मिशन अंत्योदय के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम।

(1) **सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम–**

दिनांक 01.10.2017 –

- समस्त ग्रामवासियों को 2 अक्टूबर, 2017 की खुली बैठकों एवं पखवाड़े में भाग लेने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- स्कूल के बच्चो, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की भागीदारी से 01.10.2017 को " स्वच्छता श्रमदान दिवस" के रूप में मनाया जायेगा (विस्तृत विवरण संलग्न)।

दिनांक 02.10.2017 –

- प्रभात फेरी का आयोजन करना।
- सभी ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम।
- ग्राम सभा की खुली बैठकों एवं ग्राम पंचायत समितियों की बैठकों का आयोजन करना।

दिनांक 05.10.2017

- स्वास्थ्य, वजन, पोषण दिवस का आयोजन।

क्रम 21 : पृष्ठ – 2

- स्वास्थ्य एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी आशा, ए.एन.एम. व स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण एवं दवा एवं पुष्टाहार वितरण करना। हैण्ड वाश एवं व्यक्तिगत साफ–सफाई एवं बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।

दिनांक 03 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरणः–

- 03 से 15 अक्टूबर तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तिथिवार, योजनावार एवं विभागवार प्रत्येक ग्राम सभा में आयोजित किये जायेंगें (विस्तृत विवरण संलग्न है)।

(2) मिशन अंत्योदय में चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम–

- सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रम मिशन अंत्योदय के ग्राम में भी आयोजित किये जायेंगें। इसके अतिरिक्त मिशन अंत्योदय के कार्यक्रम भी सम्पन्न कराये जायेंगें, जिसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत के मिशन अंत्योदय में चयनित होने एवं उसके लाभ के बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया जायेगा।
- गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए 7 सेक्टरों के 35 मानकों के बारे में अवगत कराया जायेगा **(संलग्न)**।
- मिशन अंत्योदय में चयनित ग्राम पंचायत को वर्ष 2019 तक गरीबी मुक्त ग्राम पचांयत (P.F.G.P) बनाये जाने हेतु किये जाने वाली गतिविधियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी।
- मिशन अंत्योदय के तहत चयनित ग्राम पंचायत का बेस–लाईन सर्वे कार्य कराया जायेगा तथा ग्रामवासियों एवं विभागों की सहभागिता से ग्राम पंचायत को गरीबी मुक्त घोषित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जायेगी।

राज्य में "ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा" के सफल आयोजन हेतु जनपद द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी–

1. समस्त जनपदों द्वारा निम्न सारणी अनुसार जनपद स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय उक्त पखवाड़े के सफल क्रियान्वयन की रूपरेखा एवं रणनीति तैयार की जायेगी।

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	तिथि
1	ग्राम समृद्धि एवं स्वछता पखवाड़ा कार्यक्रम का विभिन्न माध्यमों (रेडियों/टी.वी./प्रिंट मीडिया/बैनर/ पोस्टर/ स्कूल/ संस्थाओं) के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	25 अगस्त, 2017 से कार्यक्रम समापन तक
2	पखवाड़ा आयोजन में किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों हेतु तिथियों का निर्धारण	जनपद द्वारा तिथियों का निर्धारण दिनांक 30.08.2017 तक
4	कार्यक्रम हेतु जनपद स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारियों/ कार्मिकों को नामित करना	31 अगस्त, 2017 तक
3	जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों/ जनप्रतिनिधियों / स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यशाला ।	05 सितम्बर, 2017 तक
5	तहसील स्तर पर उप–जिलाधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विभागों की समन्वय बैठक व प्रशिक्षण कार्यशाला	08 सितम्बर, 2017 तक
6	कार्यक्रम आयोजन सम्बन्धी अभिलेख/प्रारूप/ दिशा–निर्देश /सामग्री को तैयार कर ग्रामवार सेट बनाना	10 सितम्बर, 2017 तक
7	खुली बैठकों का रोस्टर व तिथि निर्धारण एवं एजेण्डा वितरण	11 सितम्बर, 2017 तक
8	खुली बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु रोस्टर के अनुसार कार्मिकों को ग्रामवार नामित कर तैनात करना	12 सितम्बर, 2017 तक

9	पखवाड़े का शुभारम्भ	1 अक्टूबर, 2017
9	दिनांक 2 अक्टूबर को बैठकों का आयोजन	2 अक्टूबर 2017
10	दिनांक 3 से 15 अक्टूबर तक अवशेष कार्यक्रमों का आयोजन	3 से 15 अक्टूबर 2017 तक
11	अभियान की गतिविधियों का अभिलेखन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं रिपोर्ट संकलन एवं प्रेषण	15 अक्टूबर, 2017 तक प्रतिदिन तथा 17 ऑक्टूबर, 2017 तक संकलित

2. उपरोक्त पखवाड़े को उत्सव का रूप देने एवं रोचक बनाये जाने तथा आम–जन की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु सांस्कृतिक दलों, स्कूली बच्चों, मंगल दलों आदि के द्वारा संस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता भी आयोजित की जायेगी।
3. जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उक्त पखवाड़े में समन्वय हेतु प्रत्येक विभाग का नोडल अधिकारी नामित कर, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
4. पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी सभी विभागों के कार्मिकों एवं उनके संसाधनों का यथाआवश्यक उपयोग करेंगें।
5. जनपद में पखवाड़ा आयोजन हेतु नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होंगें तथा समन्वयक् अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी होंगें। तहसील स्तर पर उप–जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगें तथा खण्ड विकास अधिकारी समन्वयक् अधिकारी होंगें। आई.ई.सी एवं प्रचार–प्रसार हेतु जिला सूचना अधिकारी नोडल अधिकारी होंगें।
6. उक्त पखवाड़े के दौरान जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जायेगा।
7. मिशन अंत्योदय में चयनित ग्राम पंचायतों के बेस–लाईन सर्वे का कार्य विभागीय क्षेत्रीय कार्मिकों/संख्यिकी सर्वे कार्मिकों/उच्च शिक्षा संस्थाओं के छात्रों द्वारा कराया जा सकता है।
8. प्रत्येक विभाग द्वारा पखवाड़े के लिए आई.ई.सी./पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग व अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जायेगा।
9. समस्त विभागों द्वारा ग्राम पंचायत भवन पर फ्लैक्स के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की जायेगी।
10. पखवाड़े का आयोजन एक साथ सभी ग्राम पंचायतों में होने के कारण जनपदों मे कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस कार्यक्रम में सभी विभागों के कार्मिकों के साथ–साथ आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, आशा, मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, रोजगार सहायकों का सहयोग लिया जायेगा।
11. जनपद द्वारा उक्त पखवाड़े की प्रतिदिन आयोजित कार्यक्रमों/अद्यतन प्रगति सूचना/फोटोग्राफ/वीडियोंग्राफ/समाचार–पत्र की कटिंग आदि संकलित कर शासन को प्रत्येक दिन सांय 6:00 बजे तक ई–मेल के माध्यम से smaukrd@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा पखवाड़े की समाप्ति पर समस्त सूचनाओं/फोटोग्राफ/वीडियोंग्राफ का संकलन कर बुकलेट फार्म में शासन को ई–मेल एवं पंजीकृत डाक से उपलब्ध करायी जायेगी।
12. पखवाड़ा आयोजन के सम्बन्ध में अन्य दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एस० रामास्वामी)

मुख्य सचिव।

पत्रांकः /74/रा.डी.आर.डी.ए./2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज/वित/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/खेल विभाग/युवा कल्याण/महिला सशक्तिकरण एवं

क्रमशः पृष्ठ – 4

बाल विकास/स्वास्थ्य/कृषि/उद्यान/पशुपालन/बायफ/डेरी/मत्स्य/वन /जलागम/ आईफैड/ सहकारिता/राजस्व/उद्योग/ खादी आयोग/खादी ग्रामोद्योग/पी.डब्ल्यू.डी./पी. एम.जी.एस.वाई./पेयजल/स्वजल/सिंचाई/लघु सिंचाई/विद्युत /उरेडा /संस्कृति/सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नोडल अधिकारी (ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा)।
6. समन्वयक, राज्य बैंकर्स समिति/समस्त बैंक नियंत्रक/निदेशक, आर–सेटी।
7. अनु सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त उपजिलाधिकारी उत्तराखण्ड/समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. समस्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

ANNEXURE-III

पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत सुशासन आंकलन के लिए प्रश्नावली

(क)	सहभागितापूर्ण शासन	पिछले 2 वर्षों में ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायतों की समितियों का आयोजन परिणाम के साथ।
		ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति
		बैठक में कमजोर वर्ग की भागीदारी
		पंचायत समिति की बैठक
(ख)	ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (GPDP Formulation)	2015–16 और 2016–17 में तैयार की गई योजना
		प्रक्रिया का पालन
		युगपतिकरण/अभिसरण हासिल किया गया
(ग)	निधि और गतिविधियों का उपयोग और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना	14 वे वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त धनराशि के उपयोग का प्रतिशत और 14 वे वित्त आयोग से कराये गये प्रमुख तीन प्रकार के कार्य 1 2 3
		पीने का पानी • पाइप्ड • आरओ
		स्वच्छता हासिल करना • ODF • सार्वजनिक स्थान में शौचालय • तरल और ठोस कचरे का निपटान • गोबर प्रबंधन
		बिजली प्रदान करवाना • विद्युत कनेक्शन • स्ट्रीट लाइट
		हाउसिंग (पीएमएई) (PMAY)
		सड़कें • गांव के अंदर • ब्लॉक / मध्यवर्ती पंचायत से कनेक्टिविटी • बाजार के लिए कनेक्टिविटी
		बुनियादी ढांचे का विकास
(घ)	पारदर्शिता और जवाबदेही	क्या पिछले 3 वर्षों में तैयार खातों का ऑडिट किए गया 1. 2014–15 2. 2015–16 3. 2016–17
		मानक प्रारूप के अनुसार खातों को बनाए रखना

		ग्रामसभा में लेखा/अकाउंट पर चर्चा
		शिकायत निवारण तंत्र
		आरटीआई अधिनियम अनुपालन
(ङ)	प्रशिक्षण	निर्वाचित प्रतिनिधियों / जीपी कार्यकर्ताओं की संख्या जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया
(च)	राजस्व के अन्य स्रोत	पिछले 3 वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं का राजस्व 1. 2014–15 2. 2015–16 3. 2016–17
		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
		14 वें वित्त आयोग की आधारभूत अनुदान
(छ)	तीन बड़ी पहल	ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए धन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग सहित कम लागत वाली पहल और ई–सक्षमता सहित पिछले तीन वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उठाए गए कोई भी प्रमुख पहल। 1 2 3
(ज)	E-governance	योजना (प्लान प्लस का उपयोग)
		ऑडिटिंग और व्यय (PRIA soft का उपयोग)
		गतिविधियों की निगरानी (Action Soft का उपयोग)
		ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
		प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक सेवाओ की संख्या
		ऑनलाइन पंचायत परिसंपत्ति
(झ)	शिक्षा	आरटीई के नियमों के अनुसार स्कूल
		पंजीकरण
		उपस्थिति
		छात्रवृत्ति के लिए • लड़की • अनुसूचित जाति/जनजाति • अल्पसंख्यक
		स्कूलों में बुनियादी सुविधा
		पीने का पानी
		टॉयलेट
		मिड–डे मील
		लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट
		लड़कियों के लिए शिक्षा
		पंजीकरण
		रिटेंशन
		उपस्थिति
(ञ)	बच्चों के लिए सुविधाएं	आंगनवाडी

		अस्तित्व / Existence स्थिति / मानदंडों के अनुसार बेसिक सुविधा– खुद की इमारत, पानी, शौचालय
		पोषण–मात्रा और गुणवत्ता
		खेल का मैदान
		खेल संगठन
(ट)	लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण	ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति
		स्थायी समिति में महिलाओं की उपस्थिति
		CHILD लिंग अनुपात
		महिलाओं की साक्षरता • स्कूलों में लड़कीयों का दाखिला • स्कूलों में लड़की की देखभाल
(ठ)	स्वास्थ्य और पोषण	प्रतिरक्षा • सुविधा • अभियान
		ASHA–संस्थागत प्रसव
		उप केंद्र / पीएचसी
(ड)	सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा	सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा • आधार नामांकन • विधवा पेंशन • वृद्धावस्था पेंशन • विकलांगता पेंशन • खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन • प्रधान मंत्री जनधन योजना • अटल पेंशन योजना • प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना • प्रधान मंत्र सुरक्षा बीमा योजना • MGNREGS • आपदा प्रबंधन • PDS शॉप • बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सहायता • अक्षम व्यक्ति के लिए सहायता
(ड)	पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	वृक्षारोपण का आयोजन
		मौजूदा उद्यान / हर्बल उद्यान /पार्क
		प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना
		एलईडी बल्ब का उपयोग

		जल संरक्षण उपाय • पॉन्ड्स • चेक बांध • अन्य जल संचयन संरचनाएं, रिचार्जिंग संरचना
		ग्रीन कवरेज / जैव विविधता प्रबंधन • जैव विविधता प्रबंधन समिति • पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर • वन कवर
(ढ)	IEC Activity	जागरूकता का निर्माण • पंचायती राज • कीटाणु रहित (Hygiene) • स्वच्छता • टीकाकरण • सामाजिक सुरक्षा • नकद रहित लेनदेन • महिला सशक्तिकरण • शिक्षा

नोटः–

1. अग्रणी ग्राम पंचायत को पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
2. उपरोक्त सभी कार्यक्रम सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा आपसी समन्वय एवं तालमेल के माध्मय से अभियान के दौरान आयोजित/संचालित किये जायेंगें।

मिशन अंत्योदय में चयनित ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त घोषित करने के लिए मूल्यांकन हेतु 7 सेक्टर के 35 मानक मद

पंचायत / LGD पंचायत कोड_____						
जिला / LGD जिला कोड_____						
राज्य / LGD राज्य कोड_____						
सांसदीय क्षेत्र LGD कोड_____						
विधानसभा क्षेत्र LGD कोड _____						
विकास खण्ड / LGD विकास खण्ड कोड_____						
जनपद / जिला LGD कोड _____						
For LGD codes see http://lgdirectory.gov.in						
क्र. सं.	**सूचक**	**मानक**	**अंक**	**2017 की तिमाही**		
1	2	3	4	5	6	7
अ	**स्वास्थ्य एवं पोषण (कुल भार–15)**					
1	पूरी तरह से प्रतिरक्षित 0–6 साल के बच्चों का प्रतिशत।	100 %	2.0			
2	0–3 वर्ष तक के कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों का प्रतिशत		2.0			
3	आई.सी.डी.एस. सेवाओं को प्राप्त करने वाले 0–6 वर्ष के वांछित परिवारों वाले बच्चों का प्रतिशत (SECC-2011 के 7 में से कोई एक Deprived family)	100 %	2.0			
4	आई.सी.ई.एस सेवायें प्राप्त करने वाली गर्भवती और धात्री महिलाओं का प्रतिशत।	100 %	2.0			
5	संस्थगत प्रसव केन्द्रों का प्रतिशत	100 %	2.0			
6	स्कूलों में मिड डे मिल दिये जाने वाले दिनों का प्रतिशत (200 दिन)।	100 %	2.0			

7	जन्म के समय पंजीकृत बच्चों का प्रतिशत	100 %	1.50			
8	5 साल से अधिक जीवित लडकियों का प्रतिशत।	100 %	1.50			
ख	**स्वछता एवं सफाई (कुल भार–15)**					
9	व्यक्तिगत शौचालय प्राप्त लाभार्थी परिवारों का प्रतिशत जो तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन का उपयोग कर रह हों।	100 %	5			
10	कितने प्रतिशत परिवारों को पाईपों के माध्यम से पीने योग्य पानी मिल रहा है।	100 %	5			
11	ओ.डी.एफ. प्रस्थित प्राप्त गॉवों का प्रतिशत।	100 %	5			
ग	**सामाजिक सुरक्षा (कुल भार–10)**					
12	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत।	100 %	1			
13	अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	100 %	1			
14	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत व्यक्तियों का प्रतिशत।	100 %	1			
15	आर.एस. बी वाई/हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित पात्र परिवारों का प्रतिशत।	100 %	1			
16	विधवा पेंशन लेने वाले पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत।	100 %	1.25			
17	वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत।	100 %	1.25			
18	दिव्यांग पेंशन लेने वाले पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत।	100 %	1.25			

19	पी.डी.एस. के अन्तर्गत खाद्य सामग्री लेने वाले पात्र परिवारों का प्रतिशत	100 %	1.25			
20	आपदा प्रबन्धन योजना एवं आपदा प्रबन्धन पर पूर्वभ्यास (*Mock drill*) करने वाले गॉवों का प्रतिशत।	100 %	1			
घ	**कृषि एवं आजीविका (कुल भार–20)**					
21	ऐसे किसानों का प्रतिशत जिनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं और रसायन/उर्वरक रहित कृषि करते है।	100 %	5			
22	सिंचाई के अन्तर्गत कृषि भूमि का प्रतिशत।	100 %	10			
23	ऐसे पात्र किसानों का प्रतिशत जिनकी के.सी.सी लिमिट 50 हजार या उससे अधिक है ।	100 %	5			
ड़	**शिक्षा कौशल (कुल भार–20)**					
24	प्राईमरी स्कूलों में जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत	100 %	5			
25	कौशल विकास/माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकी लडकियों का प्रतिशत।	60 %	5			
26	20–35 वर्ष के स्नातक युवाओं का प्रतिशत जो गैर कृषि स्वरोजगार करते हों/कौशल प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार कर रहे हों।	60 %	10			
घ	**गॉव/पंचायतों की आधारभूत संरचना (कुल भार–10)**					
27	पक्के आवासों में रह रहे परिवारों का प्रतिशत।	80 %	2			
28	स्वयं के भवन में संचालित आगनवाडियों का प्रतिशत।	100 %	1			

29	फुटपाथ एवं नालियों सहित गॉवों के आन्तरिक सम्पर्क मार्ग से जुडे परिवारों का प्रतिशत।	70 %	1.5			
30	सर्व ऋतु सडकों से जुडी बसावटों का प्रतिशत।	100 %	1.5			
31	ऐसे परिवारों का प्रतिशत जो इन्टरनेट सुविधा से युक्त हो।	50 %	1			
32	ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिन्हें दिन में 12 घण्टे बिजली मिल रही हो।	70 %	1.5			
33	ऐसे परिवारों का प्रतिशत जो खाना बनाने के लिए एल.पी. जी./वायोगैस /निधूम्र चूल्हे / सौर उर्जा का उपयोग करते हों	70 %	1.5			
च	**वित्तीय समावेश (कुल भार–10)**					
34	ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनका बैंक अथवा पो0ओ0 में प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता अथवा अन्य खाते हो।	100 %	5			
35	ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से जुडा हुआ हो साथ ही टिन न0 के बारे में जानते हो।	100 %	5			
कुल भार योग–100						

नोटः– उपरोक्त में से 100 में से 75 प्रतिशत अंक मिलने पर गाम पंचायते गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त कर लेंगी।

Annexure - I

पखवाड़े के दौरान विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम

1. ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम–

- पखवाड़े के आयोजन में ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विभाग द्वारा पखवाड़े के प्रारम्भ से समाप्ति तक सभी गतिविधियों में सहयोग दिया जायेगा।
- पंचायत स्तर पर पखवाड़े तैयारी/माहौल तैयार करना।
- पंचायत भवन पर फ्लैक्स के माध्यम से योजनाओं/लाभर्थियों की सूची प्रदर्शित करना।
- पखवाड़े के सफल आयोजन एवं उत्सव के रूप में मनाये जाने हेतु प्रचार–प्रसार।
- ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा की समितियों की बैठक की तिथि/ समय/ स्थान का निर्धारण करना।
- बैठकों का रोस्टर एवं एजेण्डा समय से जारी करना।
- त्रि–स्तरीय पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों/वार्ड सदस्य/ ग्राम प्रधान/ BDC/ प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष/ प्रमुख विधायक गण/ सांसद गण/ अन्य सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करना/ आम जनता/ ग्राम वासियों से खुली बैठकों में अधिकतम संख्या में भाग लेते हुए जागरूक करना।
- आधार कैम्प/ जाब कार्ड निर्माण/ पेंशन कैम्प/ बीमा कैम्प/ रोजगार पंजीकरण/ स्वरोजगार/ बैंक ऋण कैम्प/रोजगार मेला, युवा पंजीकरण आदि का आयोजन करना।
- अभिलेखीकरण, फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी।

2. शिक्षा विभाग के द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम –

- छात्रों द्वारा सुबह के समय प्रभात फेरी का आयोजन।
- पखवाडे के दौरान बाल सभाओं का आयोजन करना
- वाद–विवाद प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोस्टर बैनर/रैली/दीवार लेखन/भाषण/ लेख/स्लोगन/नुक्कड नाटक/आर्ट प्रतियोगिता/महत्वपूर्ण स्थलों व परिसरों की सफाई आदि के लिए एन.एस.एस./एन.सी.सी./स्काउट का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों द्वारा **01 अक्टूबर को "स्वच्छता श्रमदान दिवस"** के रूप में मनाना और **हैण्ड वॉश एवं व्यक्तिगत सफाई** के बारे में जागरूक करना।
- छात्रों को कार्यक्रम के दौरान ग्रामसभा में "मेरा गांव समृद्ध गांव", "मेरा गांव स्वच्छ गांव", "बेटी बचाओं बेटी पढाओं", स्वच्छता जैसे विषयों पर निबन्ध, भाषण एवं पेटिंग आदि प्रतियोगिता आयोजित करवाना एवं पुरस्कार वितरण करना ।

- समस्त ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में स्कूली छात्रों को प्रतिभाग कराना।
- ग्राम सभा की बैठको में **जिन छात्र–छात्राओ द्वारा बीच में स्कूल छोड दिया हो उन्हें पुनः स्कूल जाने के लिये प्रेरित करना।**
- प्राथमिक से उच्च शिक्षा व तकनीकी संस्थान, शिक्षण संस्थानों, बच्चों के माध्यम से अभिभावकों, ग्रामीणों में प्रचार–प्रसार द्वारा पखवाडे के आयोजन में सहयोग प्रदान करना।
- पखवाडों में साफ–सफाई का आयोजन सतत रूप से एक माह तक कराना ।
- विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कराना।
- प्रौढ़–शिक्षा के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना।
- मीड–डें मिल व्यवस्था पर एस.एम.सी. एवं एस.एच.जी./ग्रामीणों की राय लेना।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम।

3. **खेल विभाग, प्रान्तीय रक्षक एवं युवा कल्याण विभागः–**

- अभियान के प्रारम्भ से ही युवक एवं महिला मंगल दलों का सहयोग प्रचार–प्रसार से लेकर कार्यक्रम के आयोजन में लिया जायेगा।
- प्रचार–प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल–कूद प्रतियोगिता, रैली, सर्वे तथा ग्राम सभा में होने वाले कार्यक्रमों, बैठको के आयोजन में सहयोग प्रदान करना।

4. **महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकासः–**

- **05 अक्टूबर को वजन पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के रूप मे आयोजित करना।**
- बच्चों/महिलाओं की वजन/स्वास्थ जॉच कराना/टीकाकरण कराना/बाल पुष्टाहार आदि वितरित करना।
- ऑगनवाडी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का सहयोग पूरे पखवाडे के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार, सर्वे, बैठकों एवं ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहयोग, महिलाओं तथा बच्चों को सुविधा प्रदान करने हेतु कैम्प आयोजित करना।
- निर्माणाधीन आंगनबाडी भवनों मे रेन बाटर हारवेस्टिंग के साथ बच्चों के हाथों की साफ सफाई के लिये उपयुक्त सुविधायें प्रदान करना। शौचालयों को प्रयोग में लाना एवं उन्हें स्वच्छ रखने पर बल देना।
- गांवों में महिलाओं के घटते लिंगानुपात के स्तर की पहचान कराना और ग्रामों पंचायतों को सम्बन्धित आंकडो से अवगत कराना।
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं/कन्या भ्रूण हत्या/कुपोषण आदि के बारे में जानकारी देना।
- स्कूलो और आंगनबाडी केन्द्रों को चूना और बिलिचिंग पाउडर का उपयोग कर स्वच्छ बनाना।

- आशा, आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से मेडिकल किट के प्रयोग की सामान्य जानकारी प्रदान करना।

5. स्वास्थ्यः—

- 5 अक्टूबर को विशेष स्वास्थ्य परीक्षण दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
- चिकित्सा शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना/
- सर्वाइकल कैंसर/ब्रेस्ट कैंसर/माउथ कैंसर की जांच करना।
- गांवो में टीकाकरण करवाना।
- घटते लिंगानुपात एवं भ्रूण हत्या के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना।
- गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य ट्रैकिंग करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण/टीकाकरण/दवा वितरण/जागरूकता कैम्प का आयोजन/ साफ—सफाई /गंदगी से होने वाली बीमारियॉ एवं उससे बचने आदि के उपायों की जानकारी देना।
- संस्थागत प्रजनन केन्द्रो के बारे में ग्रामीणो को जागरूक करना।
- स्वास्थ्य बीमा, गर्भवती महिलाओं आदि के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी विभिन्न माध्यमों से ग्रामीणों तक पहुंचाना।

6. कृषि/उद्यान/वन/सहकारिता/पशुपालन/डेरी/मत्स्य/जलागम/आईफैड/वायफ—

- पखवाडे के दौरान ग्राम पंचायतों में रबी अभियान का आयोजन करना।
- मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ कार्ड जारी करना और फसल बीमा कराना।
- स्टाल लगाकर योजनाओं की जानकारी देना/खाद—बीज—दवा—कृषि—उद्यान—उपकरण आदि उपलब्ध कराना।
- वृक्षारोपण, पौध वितरण/योजनाओं हेतु वित्तपोषण/फसल, के रोगों के बारे में जानकारी देना ।
- केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के सम्बन्ध में जानकारी देना।
- ग्रामीणों/स्वयं सहायता समूह को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित/प्रशिक्षित करना।
- दुग्ध उत्पादक समूह को पशु का चारा उपलब्ध कराना/दुधारू पशुओं का टीकाकरण/बीमा करना/दुधारू पशुओं की खरीद के लिये सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराना।
- गांवो में दुग्ध समितियों से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना।
- गंगा गाय योजना हेतु ऋण वितरण करना।
- ग्रामीणों/ स्वयं सहायता समूहों को डेंयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़, रेशम—कीट पालन, मधुमक्खी पालन आदि आजीविका सम्बन्धी योजनाओं से जोड़ना/प्रशिक्षण देना।

- ग्रामीणों/ स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करना।

7. राजस्व–

- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के भूमिहीन परिवारों हेतु भूमि आवंटन करना।
- कूड़ा निस्तारण हेतु डम्पिंग क्षेत्र का चयन करना।
- सार्वजनिक स्थलों/मार्गों का चिन्हीकरण करना/अतिक्रमण चिन्हीत करना।
- विरासतन दर्ज करना।
- लोगों को सामूहिक खेती/चकबन्दी हेतु प्रेरित करना।

8. उद्योग /खादी आयोग/खादी ग्रामोद्योग–

- उद्यमिता/ स्व–रोजगार को बढावा देने हेतु योजनाओ की जानकारी देना/उद्यमियों/ लाभार्थियों का चयन व वित्त पोषण।
- ऋण मेला का अयोजन कर ऋण वितरण करना।
- जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर उद्यमिता शिविर लगाना।
- उद्यमियों का पंजीकरण करना।

9. आर–सेटी/बैंक/लीड बैंक–

- ग्रामीणो को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कैश्लेस और भीम ऐप के बारे में जागरूक करना।
- स्वयं सहायता समूहों एवं सरकारी योजनाओं के अन्य लाभार्थियों का वित्त पोषण करना।
- जनसेवा केन्द्रों/बैंक संवाददातओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) और भुगतान पर जागरूकता कार्यक्रम ।
- नये खाते खोलना।
- खातों को आधार से लिंक करना।
- आधार आधारित भुगतान हेतु खातों को सीड करना।
- ऋण आवेदन तैयार कराना/ ऋण वितरण कराना।
- रोजगार/स्वरोजगार/कौशल प्रशिक्षण हेतु युवाओं का पंजीकरण करना।
- बेरोजगार युवक–युवतियों का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण हेतु प्रेरित करना/पंजीकरण कराना तथा यूथ रजिस्टर तैयार करना।

10. सिंचाई/लघु सिंचाई–

- सिंचाई सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु रणनीति तैयार करना/पुराने सिंचाई श्रोतों का रखरखाव करना।
- सिंचाई के नये विकल्पों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना।

11. विद्युत/उरेड़ा–

- योजनाओं की जानकारी देना/सौर ऊर्जा के प्रयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी देना।
- ग्रामीण क्षेत्रो में एनआरएलएम, आंगनबाडी कार्यकत्रियों और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एलईडी बल्व, ट्युबलाईट और पंखो का वितरण करवाना।
- ग्रामीण घराटों को सुदृढ़ करना।

12. संस्कृति/सूचना लोक सम्पर्क/संगीत एवं नाट्य प्रभाग–

- विभिन्न माध्यमों से पखवाड़े का प्रचार–प्रसार करना।
- लोक कला/लोक संस्कृति/स्थानीय वाद्य यंत्रों/गीत संगीत/नृत्य/ नाटक आदि के आयोजन द्वारा पखवाड़े को उत्सव का रूप देना एवं रोचक बनाना।
- इस कार्य में स्वयं सहायता समूहों / मंगल दलों तथा सांस्कृतिक दलों का सहयोग प्राप्त करना।
- गुरू–शिष्य परम्परा/वाद्य यंत्र /पोशाक वितरण कार्यक्रम आयोजित करना।

13. जल संस्थान/जल निगम

- बैठकों में प्रतिभाग कर ग्रामीणों के सहयोग से सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- पयेजल श्रोतों की साफ–सफाई / रखरखाव का कार्य कराना।
- पेयजल श्रोतों/योजनाओं/टैंक/नाले/धारे/हैण्डपम्प आदि का रख–रखाव।
- पेयजल टैंकों का क्लोरिनेशन कराना।
- जांच किट से पेयजल की जांच करनां।

14. स्वजल

- पूरे अभियान में स्वच्छता सफाई के कार्यक्रम आयोजित कराना।
- शौचालयों के उपयोग पर बल देना।
- व्यक्तिगत/सार्वजनिक शौचालयों की साफ–सफाई हेतु जागरूकता पैदा करना।
- ठोस – तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्य योजना बनाना।
- कूड़ा निस्तारण हेतु गढ्ढे बनाना।
- जल स्रोतों की साफ–सफाई कार्य कराना।
- पीने योग्य पानी की टेस्टिंग किट के माध्यम से जाँच कराना।

समन्वय

- अभियान के दौरान ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जायेगी।
- सभी मंत्रालयों द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की जायेगी।
- राज्यों को समन्वय और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर तथा प्रत्येक जनपदों हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा।
- अभियान के दौरान और अभियान के बाद रिर्पोटिंग और मॉनिटरिंग हेतु कोर टीम का गठन राज्य / जनपद /ब्लाक / ग्राम सभा तक किया जायेगा।

रिपोर्ट संकलन/अभिलेखीकरण

- अभियान की अवधि के दौरान किये गये क्रियाकलापों, कार्यों को निर्धारित प्रारूप पर (राज्य द्वारा तैयार किया जाएगा) संकलित/तैयार करना।
- प्रारंभ से अंत तक की सभी गतिविधियों का अभिलेखीकरण / फोटोग्राफ /वीडियोग्राफी की जायेगी
- अभियान की विभिन्न गतिविधियों की फोटोग्राफ भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी।

पुरस्कार (विस्तृत विवरण संलग्न)

- **प्रथम श्रेणी का पुरस्कार** – ग्राम को समग्र स्वच्छता, स्वच्छ और हरित ग्राम के आधार पर पुरस्कृत किया जायेगा
- **दूसरी श्रेणी का पुरस्कार** – ग्राम पंचायत के जीपीडीपी निर्माण प्रक्रिया, नियोजन और क्रियान्वयन के साथ ही वित्त आयोग और मनरेगा की निधि के सदुपयोग के आधार पर दिया जायेगा।

सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधिया

- अर्न्त–व्यैक्तिक संचार के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर प्रचार– प्रसार हेतु योजना बनाना।
- विभिन्न संरचनात्मक कार्यक्रमों को संबंधित मंत्रालयों द्वारा राज्य को अपने ग्राम पंचायत में प्रदर्शन करने के लिए भेजना।
- सभी ग्राम पंचायतों में सूचना बोर्ड / फ्लेक्स / दीवार लेखन आदि द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देना।
- विभिन्न अभियान के माध्यम से नागरिकों को ग्राम सभाओं और पखवाड़ों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आग्रह करना।
- संगीत और नाटक प्रभाग, लोक मीडिया, स्थानीय लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों आदि का उपयोग कर सकते हैं।

- इस अवधि के दौरान ग्रामीणों को दिखाये जाने के लिए विभागों द्वारा कई फिल्में बनाई गई हैं, जिन्हें केंद्रीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
- सितंबर के अन्तिम सप्ताह से 3 सप्ताह के रेडियो अभियान की शुरूआत हुई है
- इस अवधि के दौरान योजनाओं पर आधारित नागरिक केन्द्रित संदेश भी संचारित किये जा रहे हैं।
- अभियान के बारे में राष्ट्रीय कवरेज (National Coverage) के लिए सीएनएस चैनलों का उपयोग करना।
- कुछ विज्ञापन राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया में भी जारी किए जा सकते हैं।
- विधालयों में समानांतर गतिविधियों के साथ स्वछता सहित विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान / प्रतियोगिता कार्यक्रम किये जा सकते है
- ग्राम सभा द्वारा तय किए गए थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना।

ग्राम को ओडीएफ के रूप में रखने के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाने के साथ–साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण पर VO द्वारा गांव में बच्चों की एक–दिवसीय एसेम्बली का आयोजन करना तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण पर पोस्टर, बैनर/फ्लेक्स आदि के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जायेगा।

नेशनल लेवल मॉनीटर्स

- पखवाड़े के दौरान भारत सरकार द्वारा नामित NLMs द्वारा भी प्रतिभाग कर अनुश्रवण किया जाएगा।
- भ्रमण के दौरान NLM, द्वारा योजनाओं से सम्बन्धित आंकड़े भी एकत्रित किए जाऐंगें।

ANNEXURE-II

पखवाड़े के दौरान किए जाने वाले योजनावार कार्यक्रम

1. डे–एनआरएलएम

- ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूह दिवस मनाया जाना।
- उपरोक्त दिवसों को प्रतिभागियों की जरूरतों और मांगों के अनुसार कार्य योजना (MCP) तैयार करना।
- मिशन अंत्योदय योजना प्रक्रिया में VOs और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- स्वच्छता, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, गांव को साफ रखना, शौचालयों/IHHL का उपयोग करना, शौचालयों को स्वच्छ रखने हेतु एस.एच.जी. सदस्यों को शपथ दिलवाना।
- स्वच्छता अभियान के बाद हर घर पर सफाई का झंडा लगाना। इसे स्वच्छता पखवाडा की पूरी अवधि में रखना चाहिए (स्वजल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)।
- WASH और FNHW पर फिल्मों का प्रर्दशन (स्वजल द्वारा)।
- प्लास्टिक विरोधी अभियान और कपड़ा बैग के उपयोग को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन को आजीविका गतिविधि के रूप में इस्तेमाल करने हेतु प्रेरित करना।
- शौचालयों का उपयोग, हाथ धोने, भोजन की स्वच्छता, मासिक धर्म की स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल इत्यादि विषयों के बारे में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।
- लड़कियों की शिक्षा पर जागरूकता तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं हेतु समूह के सदस्यों को जागरूक करना।
- मिड डे मील स्कीम के बारे में फीडबैक लेने हेतु स्वयं सहायता समूह और छात्रों को शामिल करना।

2. DDUGKY and RSETIs

- ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना
- **स्वयं सहायता समूह और DDU-GKY में पंजीकृत युवाओं का रजिस्टर तैयार करना।**
- रोजगार या स्व–रोजगार एवं कौशल विकास के लिए इच्छुक ग्रामीण युवाओं की पहचान कर उनको पंजीकृत करना ।

- PIAs और संभावित नियोक्ताओं के सहयोग से रोजगार मेला/संघटन शिविरों का आयोजन करना।
- स्व–रोजगार हेतु इच्छुक लाभार्थियों को RSETIs में प्रशिक्षण लेने के लिए पंजीकृत करना।

3. रुरबन मिशन

- चयनित क्लस्टरों में सहभागी नियोजन द्वारा स्वीकृत क्लस्टर एक्सन प्लान तैयार करना (ICAP)
- क्लस्टर में पूर्व से संचालित योजनाओं की जानकारी देना।
- ग्राम पंचायतों में ग्रीन रेटिंग को फिल्म के माध्यम से साझा किया जायेगा।

4. मनरेगा

दिनांक 2 अक्टूबर 2017 के कार्यक्रम

- जीआरएस (GRS) द्वारा क्षेत्र में MGNREGS के कार्यान्वयन की आखिरी साल की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण किया जायेगा।
- विशेष पहलुओं पर चार्चा करना जैसेः–
  - ❖ अपूर्ण कार्य
  - ❖ शैल्फ प्रोजेक्ट पर चर्चा
  - ❖ जॉब कार्ड अपडेशन कार्य
  - ❖ जन सूचना बोर्ड पर चर्चा
- जॉब कार्ड धारकों का आधार कार्ड लिंक करना।
- सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के लिए ऐसे दो से तीन महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन करना जिनके सदस्य सोशल ऑडिट के लिए (Village resource person) विलेज रिसोर्स परसन के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- आवश्यकता अनुसार सोक पिट का निर्माण कराना
- जल संरक्षण पर एक जागरूकता कार्यक्रम साथ ही ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण संबंधी अधिकतम कार्यों को चयनित करने के लिए प्रेरित करना।
- GRS द्वारा मनरेगा कार्यों पर प्राप्त फीडबैक का अभिलेखीकरण करना व फोटोग्राफ लेना।

दिनांक 3 –15 अक्टूबर 2017 को आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम

- सभी पक्ष धारकों की उपस्थिति मे वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रस्तावों पर चर्चा।
- मनरेगा कार्य योजना का अनुमोदन
- ग्राम पंचायतों द्वारा माह में एक दिन मनरेगा रोजगार दिवस को मनाने हेतु शपथ दिलाना

5. प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण

- ग्राम सभा में लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची को पढ़ना और पंचायत भवन में सूची को प्रदर्शित करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं में पूर्ण घरों के लिए गृह–प्रवेश और नए घरों के लिए भूमि पूजन तथा चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, जियो टैगिंग, किश्ते जारी करना, नाम पट्टिका लिखना, फोटोग्राफी करना, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) आदि कार्य किये जायेंग करना।
- योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए भ्रष्टाचार और बिचौलियों से बचने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना ।
- PMAY के तहत सभी लाभार्थियों को SMS/whatsapp व अन्य स्रोतों से सूचना देना।
- सभी लाभार्थियों के आधार नंबर बैंक खातों से लिंक कराना।
- ऋण के इच्छुक लाभार्थियों को बैंक ऋण प्रदान कराना।
- चयनित गांवों में राजमिस्त्री प्रशिक्षण का शुभारम्भ कराना

6. प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उपरोक्त पखवाड़े में दिनांक 01.10.2017 से 15.10.2017 तक PMGSY सड़क, पुल और culverts को स्वच्छ बनाना।
- सड़क के किनारे क्षतिग्रस्त नालियों को ठीक करना और गड्ढों को भरना ।
- माइल्स स्टोन, विलेज शाइन बोर्ड, गति सीमा बोर्ड, PMGSY Logo और नागरिक सूचना बोर्ड की फिक्सिंग तथा पुनः लेखन का कार्य करना ।
- सड़क किनारे लगे पेड़ों के trunks पर लाल–सफेद रंग करवाना।
- यतायात में अवरोध पैदा कर रहे वृक्षों और झाड़ियों का कटान करवाना।
- सीवर ड्रेनेज, जल निकासी और गाद की साफ–सफाई का कार्य करवाना।

7. सांसद आदर्श ग्राम योजना

- सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में किये गये कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु माननीय सांसदों को बैठक हेतु अनुरोध करना।

- जनपदों द्वारा अभियान के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग के लिए माननीय सांसद से अनुरोध किया जायेगा।
- अभियान के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय सांसद की प्रतिभागिता से अभियान के दौरान सम्पादित होने वाले सहभागिता आधारित कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ेगी और योजनाओं के बारे में बेहतर समझ विकसित होगी।

8. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- ग्राम पंचायत में लाभार्थियों की सूची, योजनाओं की पात्रता एवं मानदंडों की जानकारी देने के साथ लाभार्थियों की सूची को प्रदर्शित करना ।
- NSAP guidelines के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का आयोजन किया जाना।
- बी.पी.एल. लाभार्थियों का SECC-2011 से मिलान किया जायेगा और SECC-2011 के आधार पर पेंशन योजना की सूची तैयार कराना।
- डिजिटल साक्षरता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- जनसेवा केन्द्रों/बैंक संवाददाताओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन और भुगतान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।